<u>डिस्कलेमर</u>

आदेश संख्या 07/2026-27 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों (मुख पृष्ठ और पृष्ठ 353, 354 और 355) का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा /20010/एमवाईटीपी/एनएमआईएएल/नवी मुम्बई/सीपी-I/2025-26

आदेश संख्या 07/2026-27

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

नवी मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, नवी मुम्बई (एनएमआई) के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (01 अप्रैल, 2025 – 31.03.2030) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 20 मई, 2026

तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003

13 प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार

अध्याय 3: वित्त वर्ष 2018 *से वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ होने (सीओडी) तक की अवधि की पूर्व सीओडी की हानियाँ*

3.6.1 नवी मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए कंपनी की शुरूआत से सीओडी तक की अवधि के दौरान हुई पूर्व-सीओडी की हानियों को टैरिफ का हिस्सा न मानना।

अध्याय: 4 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

4.6.1 *एनएमआईए* के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 15 के अनुसार यात्री, एटीएम और कार्गो यातायात को मानना।

4.6.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय प्रथम नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (यात्री, एटीएम और कार्गो) को टू-अप करना।

अध्याय : 5 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), मूल्यह्रास और विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी)

5.10.1 पैरा 5.4.2 में उल्लेख किए अनुसार और आईएमजी मानदंडों के अनुरूप टर्मिनल भवन के 88:12 (वैमानिक गैर-वैमानिक) के अनुपात (टीबीएलआर) को मानना।

5.10.2 तालिका 84 के विवरण के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के दौरान वित्तीयन भत्ते को मानना।

5.10.3 तालिका 85 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कैपेक्स को मानना।

5.10.4 तालिका 86 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक परिवर्धनों को मानना।

5.10.5 *केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम*, 2017 के *अध्याय* V *के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट के लेखांकन की जांच करना और* अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय आवश्यक समायोजन करना ।

5.10.6 कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पैरा 5.3.30 में उल्लेख किए अनुसार पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से अपूंजीकृत परियोजना लागत की 1% राशि कम (समायोजित) करना। अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के दौरान इसकी जांच की जाएगी।

5.10.7 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर लागत कार्यक्षमता और औचित्य की शर्त पर वैमानिक कैपेक्स को टू-अप करना।

5.10.8 तालिका 87 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक मूल्यह्रास को अंगीकार करना।

5.10.9 अगली नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारित करते समय, वास्तविक परिसंपत्ति परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर प्रथम नियंत्रण अवधि के मूल्यह्रास को टू-अप करना।

5.10.10 एनएमआईए, नवी मुम्बई के लिए तालिका 88 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानना।

5.10.11 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को टू-अप करना।

अध्याय : 6 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर (एफआरओआर)

6.6.1 पैरा 6.2.27 के अनुसार 9.57% ऋण की लागत को मानना।

6.6.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों (या) भारतीय स्टेट बैंक के छ: (6) माह के औसत एमसीएलआर + 150 बीपीएस (जो भी कम हो) के आधार पर प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए ऋण (सुलभ ऋण और आईसीडी को छोड़कर) की लागत को ट्रू-अप करना।

6.6.3 15.18 % पर ईक्विटी की लागत को मानना।

6.6.4 नवी मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 102 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए 12.49% एफआरओआर को मानना।

अध्याय : 7 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

7.6.1 एनएमआईए के लिए तालिका 105 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति को मानना।

अध्याय 8: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च

8.6.1 एमएमआईए, नवी मुम्बई के लिए तालिका 168 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

8.6.2 एमएमआईए द्वारा प्रथम नियंत्रण अवधि के दौरान वहन किए गए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्चों को औचित्य एवं कार्य क्षमता की शर्त पर अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय मानना।

अध्याय 9: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए गैर- वैमानिक राजस्व

9.6.1 एमएमआईए, मुम्बई के लिए तालिका 172 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए गैर- वैमानिक राजस्व को मानना।

9.6.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय, गैर-वैमानिक राजस्व को ट्रू-अप करना, यदि यह प्राधिकरण द्वारा तालिका 172 में निर्णीत राजस्व से उच्चतर हो।

अध्याय 10: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

10.6.1 तालिका 175 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक कर को मानना।

10.6.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय, सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वैमानिक कर की राशि को उपयुक्त ढंग से ट्रू-अप करना।

अध्याय 11 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

11.5.1 एनएमआईए यह सुनिश्चित करे कि नवी मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर रियायत करार में बताए गए कार्य निष्पादन मानकों का अनुपालन किया जाता है और पैरा 11.2.4 में उल्लिखित अंतिम आदेश के अनुसरण में अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे कार्य निष्पादन मानकों का भी पालन किया जाएगा जो प्रमुख हवाईअड्डों के लिए एक बार लागू हो गए हैं।

अध्याय 12 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा

12.6.1 एनएमआईए के लिए तालिका 178 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और वीईपीपी को मानना।

12.3.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए लागत कार्यक्षमता और औचित्य की शर्त पर एआरआर और वाईपीपी को ट्रू-अप करना।

अध्याय 13 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व

13.5.1 तालिका179 के अनुसार वैमानिक राजस्व को मानना।

13.5.2 प्राधिकरण एनएमआईए को निदेश देता है कि वह प्रथम नियंत्रण अवधि के दौरान वीटीपी के कारण एटीएम और यात्रियों की संख्या में वृद्धि से प्राप्त राजस्व तथा दिए गए ऐसे प्रोत्साहनों का, वित्तीय वर्ष-वार अलग रिकॉर्ड रखे।

13.5.3 प्राधिकरण एनएमआईए को निदेश देता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि इकाओ के गैर-भेदभाव के सिद्धांतों का उल्लंघन न हो।

13.5.4 एनएमआईएएल को यह निदेश देता कि वह अपनी कार्गो हैंडलिंग और ईंधन सेवाओं के लिए अलग-अलग खाते बनाए, और ऐरा, सीजीएफ दिशानिदेशों के अनुसार, प्रत्येक लेखा वर्ष (जो 31 मार्च को समाप्त होता है) के लिए वार्षिक अनुपालन विवरण (एसीएस) प्रस्तुत करे।

13.5.5 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय प्रथम नियंत्रण अवधि के वास्तविक राजस्व के आधार पर वैमानिक राजस्व को टू-अप करना।

15 आदेश

15.1.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर प्राधिकरण एतदद्वारा **संलग्नक-1** में बताए अनुसार नवी मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वसूली जाने वाली वैमानिक टैरिफ निर्धारित करता है।

15.1.2 वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन बनाए गए वायुयान नियम, 1937 के नियम, 89 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (बी) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतदद्वारा प्रथम नियंत्रण अवधि के आदेश के संलग्नक-1 में दिए गए दर कार्ड में इंगित किए अनुसार यूडीएफ की दर निर्धारित करता है।

15.1.3 इसमें निर्धारित टैरिफ उच्चतम दरें हैं और इनमें कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

15.1.4 यह आदेश 1 जून, 2026 से प्रभावी किया जाएगा।

15.1.5 हवाईअड्डा प्रचालक प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए अपना एमवाईटीपी प्राधिकरण को ठीक समय पर प्रस्तुत करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवामें,

कैप्टन बी.वी.जे. के. शर्मा,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नवी मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड,
मुम्बई -410206

प्रतिलिपि;

1. **सचिव,** नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – 110 003
2. **नागर विमानन महानिदेशालय** :एआईसी जारी करने के लिए